भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *278
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल का बकाया

***278. श्री बापी हलदरः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को देय बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और यह कितनी अवधि से लंबित है; और
(ख) पश्चिम बंगाल को ये लंबित निधियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) और (ख): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल का बकाया” के संबंध में श्री बापी हलदर द्वारा पूछे गए दिनांक 18.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *278 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन (55 एलपीसीडी, बीआईएस: 10500 मानक पर) प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है।

वर्ष 2019 में मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। 15.12.2025 तक, देश में अनुमानित 19.37 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.76 करोड़ (81.42%) से अधिक परिवारों को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मिशन की शुरुआत के समय, अगस्त 2019 में, केवल 2.15 लाख (1.22%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। 15.12.2025 तक, पश्चिम बंगाल में 1.75 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 99.09 लाख (56.46%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को पांच वर्ष अर्थात 2019-20 से 2023-24 तक मंजूरी दी थी। इस अवधि के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन के तहत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन को पूरा करना था। पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को जारी की गई राशि ‘जस्ट इन टाइम” सिद्धांत और वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुरूप थी ताकि राज्य में निधि के अनुचित संचय से बचा जा सके। 24,645.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन के विरूद्ध, पश्चिम बंगाल राज्य मिशन अवधि के दौरान केवल 13,027.84 करोड़ रुपये ही आहरित कर सका, क्योंकि वित्त मंत्रालय और जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय का अब उपयोग कर लिया गया है। इसके अलावा, राज्य को स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय वित्तपोषण केवल अनुमोदित मिशन अवधि तक सीमित था और राज्य को स्वयं के संसाधनों से अपने चल रहे कार्यों को पूरा करने की सलाह दी गई।

पश्चिम बंगाल को जल जीवन मिशन के तहत आवंटित धनराशि, राज्य द्वारा आहरित निधि और संसूचित व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय अंश		राज्य द्वारा व्यय
		आवंटित निधि	राज्य द्वारा आहरित निधि	
1	2019-20	995.33	994.75	469.54
2	2020-21	1,614.18	807.08	641.17
3	2021-22	6,998.97	1,404.61	725.77
4	2022-23	6,180.25	3,090.12	3,204.21
5	2023-24*	3,806.29	4,206.29	5,155.11
6	2024-25	5,049.98	2,524.99	4,905.55
कुल		**24,645.00**	**13,027.84**	**15,101.35**

**इसमें 2023-24 में 400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि शामिल है।* *स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस*

इसके अलावा, अब तक हासिल की गई प्रगति और चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणाओं 2025-26 के माध्यम से कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार की घोषणा की है। सक्षम प्राधिकारी से बढ़े हुए परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन के विस्तार का अनुमोदन प्राप्त होने और संबंधित दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद ही पात्र राज्यों को केंद्रीय सहायता-अनुदान जारी किया जा सकेगा।

****